




महापरिवर्तन  
जन  
अधिकार



## 1. राईट टू रिजेक्ट - ( खारिज करने का अधिकार) जनप्रतिनिधी और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होगा लागू

(अ) जब कोई जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार करता है या विकास कार्यों अपने वादों के अनुरूप पूरा नहीं करता है तो इस कानून के तहत जनता उसे वर्तमान पद से खारिज कर सकती है। खारिज होने के उपरांत संवैधानिक रूप से सुनिश्चित कार्यकाल तक वह अपने पद पर तो रहेंगे लेकिन उनका वेतन, भत्ता और उन्हें अपने क्षेत्र के विकास हेतु मिलने वाले राशि से वंचित रहेंगे तथा उनके बदले क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास की जिम्मेवारी क्रमशः विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष की होगी।

(ब) जब कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति का राजनीति, आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण करते हुए भ्रष्टाचार करता है या कानून का दुरुपयोग करता पाया जाता है तो उसे इस कानून के तहत खारिज किया जा सकता है। खारिज होने के उपरांत उनका वेतन और भत्ता तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा और उनके ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके बदले किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। निराकरण-इस कानून के लागू होने के उपरान्त सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों के आवास या कार्यालय के बाहर एक कार्य समीक्षा वोटिंग मशीन लगायी जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं का डाटा रहेगा ताकि कोई भी मतदाता राईट टू रिजेक्ट के तहत अपने फिंगर प्रिंट से वोटिंग करके इस कानून के अंतर्गत भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का अंत कर सके।

## 2. राईट टू रेफरेंडम ( जनमत संग्रह का अधिकार)

(अंतिम रूप से किसी कानून के पारित होने के लिखनता की राय लेने की बाध्यता)

किसी ऐसे कानून को रोकना जो हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता को सीमित करता हो या जिसके लागू हो जाने पर जनता का शोषण होने की आशंका हो ऐसी परिस्थिति में इस अधिकार के तहत हम अपना बचाव करते हुए गैरवाजिब कानून को खारिज कर सकते हैं। जिससे लोकतंत्र की कमान सीधे जनता के हाथों में रहेंगी।

## 3. राईट टू प्रपोज अमेंडमेंट- कानून सुधार में सहभागिता का अधिकार

कोई भी कानून जिसके प्रति जनता संतुष्ट तो है लेकिन कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति रखती है और उसमें समाज के बुद्धिजीवियों की ओर से कुछ संशोधन करवाना चाहती है तो इस अधिकार के तहत यह संभव है, अगर किसी कारणवश राज्य या केंद्र सरकार जनता की तरफ से दिए गए सुझावों को नहीं मानती तो राईट टू रेफरेंडम के तहत नया कानून लागू नहीं हो पाएगा अतः सरकार को पुनर्विचार करना ही होगा।

सम्पर्क:- 7477022043, 9752709507, 700433788, 9770541420